न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
157/2021	18.08.2021	16.04.2024

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र लक्ष्मण शर्मा, उम्र 51 वर्ष निवासी पुरावतो का आकोला, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पुत्र श्री दोला गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पुरावतों का आकोला, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गोपाल पुत्र श्री दोला गाडरी, उम्र वयस्क निवासी पुरावतों का आकोला, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. तहसीलदार, भीलवाड़ा

विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी नानू लाल तेली
अधिवक्ता अप्रार्थी अनुभव पारासर

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: निर्णय :–

दिनांक 16/04/2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि ग्राम आकोला पटवार हल्का सिदडियास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– कमशः 204/2 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा थी जो पूर्व में विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम संयुक्त सामलाती राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। विपक्षी संख्या 01 व 02 की उक्त आराजी संख्या 204/2 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा में से पूर्व की तरफ 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी ने दिनांक 20.03.2018 काके जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की गई। कयशुद्धा 10 बिस्वा भूमि के चारो पड़ोस रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 20.03.2018 में अंकित है। प्रार्थी द्वारा कयशुद्धा 10 बिस्वा भूमि जरिये नामान्तरण संख्या 1577 दिनांक 18.06.2018 को विपक्षी संख्या 03 ने प्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड में दर्ज कर दी। कयशुद्धा 10 बिस्वा भूमि के नवीन आराजी नम्बर 204/3 रकबा 1265 हैक्टेयर कायम कर प्रार्थी के नाम दर्ज कर दिया। प्रार्थी द्वारा कयशुद्धा भूमि 10 बिस्वा को रजिस्टर्ड विकय पत्र में अंकित पड़ोसो के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करना चाहिए था लेकिन नक्शा ट्रेस में गलत तौर पर दक्षिण दिशा में स्थित सगस जी के स्थान को प्रार्थी के कयशुद्धा आराजी में शामिल करते हुए गलत तरमीम कर दी। अतः प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित आराजी नम्बर 204/3 की तरमीम रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 20.03.2018 में वर्णित पड़ोसो के अनुसार की जावे तथा सगस जी के स्थान को अलग करते हुए तरमीम कराई जाए।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से दिनांक 27.09.2021 को राजीनामा पेश किया गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा क्रय किये गये हिस्से को सगस जी के स्थान को छोड़कर विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2018 में वर्णित पड़ोसो के अनुसार मौके पर दर्ज कराने को सहमति प्रकट की है। विपक्षी संख्या 03 को वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27.12.2021 को पत्र जारी किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। उपयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम आकोला के आराजी नम्बर 204/2 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा भूमि मोहन कंवर पत्नी विजयसिंह राजपूत सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसे विक्रय से नामान्तकरण संख्या 1251 दिनांक 7.05.2015 को क्रेयता रामलाल, गोपाल पिता दौला गाडरी के नाम दर्ज हुई। आराजी नम्बर 204/2 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी ने बेचान से क्रय की जिसका नामान्तकरण संख्या 1577 दिनांक 18.06. 2018 से नवीन आराजी नम्बर 204/3 रकबा 10 बीस्वा भूमि रामप्रसाद पिता लक्ष्मण शर्मा प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2018 में अंकित चारों पड़ोसो अनुसार 10 बिस्वा भूमि का राजस्व नक्शे मे तरमीम नहीं करने से प्रार्थना पत्र दुरूस्ती का प्रस्तुत किया। विपक्षी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजीनामा प्रस्तुत करते हुए विक्रय पत्र में अंकित चारों पड़ोसो अनुसार सगस जी के स्थान को छोड़ते हुए क्रयशुद्धा भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम करने की सहमति प्रस्तुत की है। विपक्षी संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के जवाब राजीनामा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2021 के अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आराजी नम्बर 204/3 रकबा 10 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकार्ड में नक्शा दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम आकोला पटवार हल्का सिदडियास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 204/2 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि में से 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2018 में अंकित चारो पड़ोस अनुसार क्रय की जिसके नवीन नम्बर 204/3 रकबा 10 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है लेकिन विक्रय पत्र में अंकित चारो पड़ोस अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं की गई है जिससे विपक्षी संख्या 01 व 02 ने भी सगस जी के स्थान को छोड़कर नक्शे में तरमीम करने में सहमति प्रकट की है। अतः आराजी नम्बर 204/3 रकबा 10 बिस्वा भूमि की उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में दुरूस्त करते हुए तरमीम किए जाने के आदेश तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रदत्त किए जाते है। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा